

शाखा प्रबंधक,
पूर्वांचल बैंक,
शाखा :

महोदय,

मृतक श्री/श्रीमती/कुमारी के खाता सं. के
अवशेष राशि के भुगतान हेतु आवेदन पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री की मृत्यु दिनांक को हो गई
है/दिनांक से लापता हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
निवासी का चालू/बचत/रिकरिंग/सावधि जमा खाता सं.
आपकी शाखा पर है जो निम्न है।

क्रम सं.	जमा की प्रकृति	खाता सं.	धनराशि	परिपक्वता की तिथि	बैंक के प्रति दायित्व की प्रकृति	धनराशि
1.						
2.						
3.						
योग						

02. अतएव मैं/हम संलग्न निम्न दस्तावेजों के आधार पर मृतक के उपरोक्त खाता सं. की राशि प्राप्त करने हेतु अधिकृत होने के कारण उक्त राशि रु0 व ब्याज का भुगतान मुझे/हमें किये जाने का आपसे अनुरोध करते हैं—

(अ) श्री/श्रीमती/कुमारी के वसीयत व उस पर न्यायालय से जारी आर्डर आफ प्रोबेट। (प्रतिलिपि संलग्न)

(ब)* न्यायालय द्वारा प्रदत्त सक्सेशन सर्टिफिकेट दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न)

(स)* द्वारा जारी लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन सं. दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न)

(द)* मृतक की मृत्यु निर्वसीयत हुई है एवं मृतक के किसी जमा को प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय से कोई डिग्री किसी के द्वारा न प्राप्त की गई है और न लम्बित है। इस मामले में न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न होने के कारण निम्न संलग्नकों के आधार पर बैंक के नियमों एवं विवेकाधिकार के अन्तर्गत मैं/हम अपना दावा प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं।

(i) विरासत (Heirship) प्रमाण पत्र दिनांक जो द्वारा जारी है/खण्डविकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परिवार रजिस्टर की नकल दिनांक.....।

(ii) शपथ पत्र दिनांक.....जो श्री पुत्र श्री..... व श्री
पुत्र श्री..... द्वारा निष्पादित है तथा शपथकर्ता हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। (प्रारूप - 2)

(iii) क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक.....जो श्री पुत्र श्री..... द्वारा निष्पादित
तथा श्री..... पुत्र श्री..... एवं श्री पुत्र श्री.....
जमानतदार (surety) द्वारा निष्पादित है। (प्रारूप - 3)

(iv) स्वत्व परित्याग पत्र दिनांक..... श्री पुत्र श्री के पक्ष में अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित जो उपरोक्त राशि हेतु अपने दावा का परित्याग कर दिया है तथा क्षतिपूर्ति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। (प्रारूप - 4)

03. मृतक के सम्बन्ध में अन्य विवरण निम्न है—

(a) मृत्यु का स्थान एवं तिथि.....

(b) मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण.....

(प्रमाण पत्र सं., दिनांक जारीकर्ता अधिकारी। छायाप्रति संलग्न करें।)

(c) मृतक का स्थायी पता.....

(d) धर्म (Religion).....

(e) उपरोक्त में कौन सा उत्तराधिकार कानून लागू होगा

(उदाहरणार्थ हिन्दू, मुसलमान इत्यादि)

- (f) मृतक के पिता का नाम श्री..... (जीवित/मृतक).पुत्र श्री..... उम्र.....
 (g) मृतक के माता का नाम श्रीमती.....(जीवित/मृतक).पत्नी श्री..... उम्र.....
 (h) मृतक के विधुर/विधवा का नाम श्री / श्रीमती.....(जीवित/मृतक). उम्र.....
 04. इस संबंध में हम यह भी सूचित करते हैं कि मृतक का आपकी शाखा, आपके बैंक के किसी अन्य शाखा एवं अन्य किसी बैंक/वित्तीय संस्था में कोई जमा नहीं है यदि है तो उसका विवरण..... है। मृतक ने इसके अलावा अन्य कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी है। हम एतद्वारा बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि मृतक की यदि बैंक के प्रति कोई ऋण अथवा अन्य देयता शेष हो तो इस जमा राशि से उसका समायोजन कर लें व शेष राशि ही मुझे/हमें भुगतान करें। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

05. हम पुष्टि करते हैं कि हम ही मृतक के उत्तराधिकारी/कानूनी उत्तराधिकारी/वैध वारिसान हैं जिनका विवरण निम्नवत् है तथा हमारे अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है, न ही उत्तराधिकारी के संबंध में इस मामले में कोई विवाद कहीं लम्बित है :

क्रमांक	नाम व वल्लिदयत	सम्बन्ध	उम्र #	पता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

06. उपरोक्त उत्तराधिकारी में अवयस्क के सम्बन्ध में हम वचन देते हैं कि उनके हिस्से की राशि का व्यय उन्हीं के हितार्थ किया जाएगा।
 07. इस भुगतान के संबंध में निम्न लोगों ने अदावा पत्र श्री के पक्ष में प्रस्तुत किया है, जो मूल रूप से संलग्न है।

क्रमांक	नाम व वल्लिदयत	सम्बन्ध	उम्र	पता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

साथ ही सम्बन्धित खाते/खातों की पासबुक/अप्रयुक्त चेक सं. से तक, सावधि/विशेष जमा रसीद सं. दिनांक भी मूल रूप से संलग्न है।

प्रमाण पत्र—

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य है और उसमें कोई सूचना छिपाई या दबाई नहीं गई है।

गवाह © —

हस्ताक्षर—

पूरा नाम—

स्थायी पता—

दिनांक

भवदीय,

1

2

3

* जो लागू न हों, काट दें।

अवयस्क के मामले में संरक्षक का नाम (यदि विधिक संरक्षक नियुक्त है तो आदेश की छाया प्रति भी संलग्न करें।)

© गवाह वह सम्मानित ब्यक्ति होगा जो मृतक के परिवार को अच्छी तरह जानता हो लेकिन उनका सगा सम्बन्धी न हो तथा बैंक को स्वीकार्य हो। यदि दावा राशि रूपया एक लाख से अधिक हो तो संलग्न शपथ-पत्र (प्रारूप - 2) उस गवाह द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित होगा।